6

बंदी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1985

(मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 10 सन् 1985)

दिनांक 26 मई 1985 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 5 जून 1985 को प्रथमबार प्रकाशित की गई।

बन्दी अधिनियम, 1900 को मध्यप्रदेश राज्य में उसके लागू होने के सम्बन्ध में और संशोधित करने हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1985 है।

2. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, 1900 का सं. 3 का संशोधन–मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को उस रीति में संशोधित किया जाय जो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है।

3. नवीन भाग 6–क का स्थापन–मूल अधिनियम के भाग 6–क के स्थान पर निम्नलिखित भाग स्थापित किया जाय, अर्थात्–

भाग 6–क

'बन्दियों को छुट्टी और आपात छुट्टी'

31-क. बन्दियों को छुट्टी की मन्जूरी –(1) राज्य सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अपनी शक्तियॉं प्रत्यायोजित करे, किसी ऐसे बन्दी को, जिसे कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, एक वर्ष में इक्कीस दिन से अनधिक कालावधि की छुट्टी, जिसमें वह समय सम्मिलित नहीं होगा जो कारागार के प्रस्थान के ठीक पश्चात् उसके अभ्यागम के प्रथम स्थान तक की और अभ्यागम के अन्तिम स्थान से कारागार तक वापसी की यात्राओं के लिए अपेक्षित हो इस भाग के उपबन्धों के और ऐसी शर्तों के जैसी की विहित की जाय, अधीन मन्जूर कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे बन्दी को लागू नहीं होंगे जिसे कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) के अधीन बनाए गए नियमों के, जो तत्समय प्रवृत्त हों, प्रयोजन के लिए अभ्यासिक अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जिसे पूर्व में तीन से अधिक बार सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो।

(3) किसी बन्दी को किसी वर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन छुट्टी–

(i) दो से अधिक अवसरों के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी;

(ii) दस दिन से कम की कालावधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी; और

(iii) तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस वर्ष के दौरान ली गई अंतिम छुट्टी की समाप्ति तथा आवेदित छुट्टी के प्रारम्भ होने के बीच तीन मास की कालावधि व्यपगत न हो गई हो।

(4) किसी बन्दी को उपधारा (1) के अधीन छुट्टी–

(क) तब तक मन्जूर नहीं की जायेगी जब तक कि वह छुट्टी मन्जूर किए जाने के समय, अपने दण्डादेश, जिसके अन्तर्गत परिहार भी है, का आधा भाग या अपने दण्डादेश, जिसके अन्तर्गत परिहार भी सम्मिलित है कम से कम दो वर्ष की कालावधि, इनमें से जो भी कम हो न काट चुका हो;

(ख) उस दशा में मन्जूर नहीं की जावेगी जबकि आवेदित छुट्टी के प्रारम्भ होने की तारीख के पूर्ववर्ती